उत्तर प्रदेश शासन
नागरिक उड्डयन अनुभाग
संख्या-11/2022/151/छप्पन-2022-115/1989
लखनऊ: दिनांक:28 जनवरी, 2022

कार्यालय-ज्ञाप

शुद्धि-पत्र

आर0सी0एस0 स्कीम में चयनित म्योरपुर हवाई पट्टी के विस्तारीकरण एवं टर्मिनल बिल्डिंग से आच्छादित वन भूमि के गैर वानिकी उपयोग एवं वृक्षों के पातन हेतु कुल रूपए 46,16,357/- (रूपए छियालीस लाख सोलह हजार तीन सौ सत्तावन मात्र) की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति शासनादेश संख्या-05/2022/2125/छप्पन-2021-115/1989 दिनांक 19 जनवरी, 2022 द्वारा निर्गत की गई थी।

2- उक्त शासनादेश के प्रस्तर-5 में त्रुटिवश 'उपर्युक्त पर होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2021-2022 के अनुदान संख्या-38 के राजस्व लेखाशीर्षक ''5053-नागरविमानन पर पूंजीगत परिव्यय-02-विमानपत्तन-800-अन्य व्यय-20 हवाई पट्टियों के निर्माण, विस्तार एवं सुदृढ़ीकरण तथा भूमि अर्जन-60भूमि क्रय'' से वहन किया जाएगा।" टंकित हो गया है। अत: इसे 'उपर्युक्त पर होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2021-2022 के अनुदान संख्या-38 के पूंजीगत लेखाशीर्षक ''5053-नागर विमानन पर पूंजीगत परिव्यय-02-विमानपत्तन-800-अन्य व्यय-20 हवाई पट्टियों के निर्माण, विस्तार एवं सुदृढ़ीकरण तथा भूमि अर्जन-60भूमि क्रय'' से वहन किया जाएगा।" पढ़ा जाए।

उक्त शासनादेश इस सीमा तक संशोधित समझा एवं पढ़ा जाए।

डॉ सत्य प्रकाश तिवारी
उप सचिव।

संख्याः11/2022/151(1)/छप्पन-2022 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

(1) महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)-प्रथम, उ0प्र0, प्रयागराज।
(2) उप महालेखाकार/ ई0एस0-III, आडिट भवन, टीसी-35-वी-1, विभूतिखण्ड, गोमतीनगर लखनऊ-10
(3) आयुक्त, मिर्जापुर मंडल, मिर्जापुर
(4) जिलाधिकारी, सोनभद्र |
(5) मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ/कोषाधिकारी, सोनभद्र।
(6) निजी सचिव, मा० नागरिक उड्डयन मंत्री, उत्तर प्रदेश।
(5) वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-7/नियोजन अनुभाग-4
(6) गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
सुरेन्द्र कुमार
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in